

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—क्षय/संस्था/(बी.249)/2017/

दिनांक:—

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ11--(7)एफ.डी/नियम /2008 दिनांक 12.09.08 एवं एफ.14(88) वित्त (नियम)/2008—टी दिनांक 31.12.2009 एवं 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए श्री टीकम सिंह धाकड़, टीबीएचवी को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी. स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन जिला	संवर्ग में प्रथम नि० तिथि	वर्णित तिथि को सेवा पूर्ण	27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय पै बैंड व ग्रेड पे
1.	श्री टीकम सिंह धाकड़, टीबीएचवी	भरतपुर	20.06. 89	20.06.2016 (27 वर्ष)	पै बैंड 9300—34800 ग्रेड पै 4200

sd
(राकेश शर्मा)

अति० निदेशक (प्रशा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:—क्षय/संस्था/(बी.249)/2017/S14

दिनांक:—20/11/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर को उनके पत्र क्रमांक 6027 दिनांक 12.10.2017 के सन्दर्भ में।
2. जिला क्षय रोग अधिकारी, जिला क्षय निवारण केन्द्र, भरतपुर।
3. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
5. आदेश पत्रावली।

[Signature]
अति० निदेशक (प्रशा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर।